आखिरी जांच: 29 सितंबर 2026 · Other Backward Classes Welfare Department

Yashwantrao Chavan Mukta Vasahat Yojana (rural housing for VJNT)

पूरी तरह राज्य निधि से चलने वाली आवास योजना, जो ग्रामीण महाराष्ट्र में विमुक्त और घुमंतू जनजातियों के बेघर या कच्चे घर वाले परिवारों को अनुदान देती है।

क्या मिल सकता है

सामान्य क्षेत्र में 1.20 लाख रुपये और नक्सल प्रभावित या पहाड़ी क्षेत्र में 1.30 लाख रुपये का अनुदान, बैंक खाते में। अभिसरण से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (1 जुलाई 2026 तक मनरेगा, अब वीबी-जी राम जी) में अकुशल काम के दिनों की मजदूरी और पात्र होने पर स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय के 12,000 रुपये भी मिल सकते हैं। रसोई और शौचालय सहित कम से कम 269 वर्ग फुट का घर अपेक्षित है।

किसके लिए है

ग्रामीण क्षेत्र के बेघर या कच्चे घर वाले विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति (VJNT) परिवार, जिनके पास अपना प्लॉट हो और जिन्होंने दूसरा आवास लाभ न लिया हो।

मुख्य शर्तें

- VJNT श्रेणी, उपविभागीय अधिकारी का जाति प्रमाणपत्र।
- 1.20 लाख रुपये तक आय का प्रमाणपत्र और महाराष्ट्र में 15 साल निवास।
- अपना प्लॉट या सरकार से आवंटित जमीन और पहले किसी आवास योजना का लाभ नहीं।
- ग्राम सभा का प्रस्ताव और जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन।

दस्तावेज़

- उपविभागीय अधिकारी का जाति प्रमाणपत्र
- तहसीलदार का आय प्रमाणपत्र
- महाराष्ट्र में 15 साल के निवास का प्रमाण
- अपने प्लॉट या सरकार से आवंटित जमीन का प्रमाण
- ग्राम सभा का प्रस्ताव
- बैंक खाते की जानकारी

आवेदन कैसे करें

1. आधिकारिक पेज के अनुसार ग्राम पंचायत में आवेदन करें। मौजूदा फॉर्म के लिए ग्राम पंचायत या जिला परिषद के OBC कल्याण कार्यालय से पूछें।
2. ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती है और कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति लाभार्थी चुनती है।
3. चयन के बाद अनुदान किस्तों में बैंक खाते में जमा होता है। प्रगति सातारा पेज पर PMAYG AwaasSoft लिंक से देखी जा सकती है।

स्थिति

जारी

आधिकारिक स्रोत: https://www.zpsatara.gov.in/en/scheme/yashwantrao-mukta-vasahat-yojana/
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/maharashtra/mh-yashwantrao-chavan-mukta-vasahat/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।